तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल पीठ **श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य** उपस्थित– श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक प्रार्थी श्री के.के.पुरोहित, अभिभाषक अप्रार्थी **दिनांक : 01–05–2025** **निर्णय** यह निगरानी उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला द्वारा प्रकरण संख्या 368/94 में पारित आदेश दिनांक 16–03–2001 के विरूद्ध धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत पेश की गई है। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी/वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 88, 89 व 188 एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 121 व 136 के तहत उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के समक्ष अप्रार्थीगण/प्रतिवादी के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया। वाद दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसमें अप्रार्थी/प्रतिवादी सं.12 व 13 की तरफ से उनके अभिभाषक उपस्थित हुए तथा अन्य अप्रार्थीगण के नोटिस अदम तामील प्राप्त नहीं होने से पुनः नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। प्रार्थी/वादी की वाद की पत्रावली दिनांक 16–02–99 को विचारण न्यायालय को हस्तान्तरण कर दी गई, जिसकी जानकारी प्रार्थी को नहीं दी गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 29–03–2000 को प्रार्थी/वादी का वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया। जिसको विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 17–04–2000 द्वारा वाद को पुनः रेस्टोर कर लिया गया। दौराने वाद अप्रार्थी/प्रतिवादी सं. 13 ने आदेश 9 नियम 2 व 5 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 16–03–2001 द्वारा स्वीकार करते हुए प्रार्थी / वादी का वाद खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के समक्ष अपील पेश की। राजस्व अपील प्राधिकारी ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अपने समक्ष संधारण योग्य नहीं मानते हुए अपने आदेश दिनांक 31–12–2003 द्वारा अस्वीकार कर दी गई। उनका तर्क है कि विचारण न्यायालय को आदेश 9 नियम 2 व 5 सीपीसी के तहत प्रार्थी का पूरा वाद खारिज करने का अधिकार नहीं था। आदेश 9 नियम 2 व 5 सीपीसी के तहत दावा उन प्रतिवादियों के हद तक ही निरस्त किया जा सकता था, जिनके सम्मन प्रस्तुत नहीं किये गये हो, जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी / प्रतिवादी सं. 12 व 13 उपस्थित हो चुके थे। विचारण न्यायालय ने आदेश 9 नियम 2 व 5 सीपीसी का सही विश्लेषण नहीं किया तथा दावा खारिज करने के तत्व विद्यमान नहीं होते हुए भी प्रार्थी / वादी का दावा खारिज करने में कानूनी भूल की है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी / वादी ने अपने दावे में मूल दादरसी अप्रार्थी संख्या 13 के विरूद्ध चाही थी, जो अपने अभिभाषक के साथ विचारण न्यायालय में उपस्थित हो चुका था, जिसके द्वारा कोई जवाब दावा भी प्रस्तुत नहीं किया गया था। ऐसे में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को गुणावगुण पर निस्तारण नहीं कर तकनीकी बिन्दु पर खारिज करने में विचारण न्यायालय कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद की पत्रावली विचारण न्यायालय से हस्तान्तरण होकर विचारण न्यायालय को भेजी गई जिसकी सूचना प्रार्थी व उसके अभिभाषक को नहीं दी गई तथा बाद में वाद को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया तथा वाद पुनः रेस्टोर होने पर प्रार्थी ने पुनः सम्मन प्रस्तुत कर दिये थे किन्तु पीठासीन अधिकारी के दिनांक 19–05–2000 से दिनांक 24–02–2001 तक अवकाश	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पर रहने से किसी भी प्रकार के आदेश पारित नहीं हो सकें, यह सब तथ्य रिकार्ड पर होते हुए भी प्रार्थी का वाद खारिज कर विचारण न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है। अतः यह निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीधीन आदेश दिनांक 16–03–2001 को निरस्त किया जावे तथा प्रार्थी / वादी का वाद पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश के साथ अन्य प्रतिवादीगण के नोटिस तलवाना प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर दिये जाने के आदेश प्रदान किये जावें। अभिभाषक अप्रार्थी ने आक्षेपित आदेश दिनांक 16–03–2001 को विधि सम्मत बताते हुए निगरानी सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचारण न्यायालय ने प्रार्थी / वादी द्वारा न्यायालय के आदेशों की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के सम्मन तलबाना पेश करने में असफल रहने के कारण निगरानीधीन निर्णय दिनांक 16–03–2001 द्वारा प्रतिवादी संख्या 13 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 2 व आदेश 9 नियम 5 एवं धारा 151 सीपीसी को स्वीकार करते हुए वादी के वाद पत्र को निरस्त किया है। हम प्रार्थी के अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत हैं कि विचारण न्यायालय को आदेश 9 नियम 2 व 5 सीपीसी के तहत प्रार्थी का पूरा वाद खारिज करने का अधिकार नहीं था। आदेश 9 नियम 2 व 5 सीपीसी के तहत दावा उन प्रतिवादियों के हद तक ही निरस्त किया जा सकता था, जिनके सम्मन प्रस्तुत नहीं किये गये हो। हस्तगत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 12 व 13 उपस्थित हो चुके थे तो ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 से	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	11 की हद तक ही वाद निरस्त किया जा सकता था। प्रतिवादी संख्या 12 व 13 के विरूद्ध वाद चल सकता है। किन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त विधिक बिन्दु पर गौर न कर निगरानीधीन निर्णय पारित करने में गंभीर त्रुटि की है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–03–2001 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वाद को पुनः नम्बर पर लेकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 12 व 13 को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करे। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। **(भवानी सिंह पालावत)** **सदस्य**	